**श्री नरेश अग्रवालः** सर, यह रूलिंग तो हमको प्रेरित कर रही है कि हम डिस्टर्ब करें, जिससे क्वेश्चन ऑवर न हो सके।

**श्री सभापतिः** आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... Nareshji, it is not expected of you.

**श्री नरेश अग्रवालः** आप यह रूलिंग मत दीजिए।

MR. CHAIRMAN: It is never by consent.

**श्री नरेश अग्रवालः** आप क्वेश्चन ऑवर करवाइए, लेकिन यह रूलिंग मत दीजिए। इस रूलिंग का दूसरा मतलब निकलता है।

MR. CHAIRMAN: Nareshji, please. Question Number 181.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Jharkhand) : Sir, when do we take up the Bill?

MR. CHAIRMAN: We will continue the discussion at 1 o' clock. Thank you. Question Number 181.

---

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी योजना

*181. **डा. भूषण लाल जांगडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी योजना से जुड़े राज्यों को दो समूहों में विभाजित किया गया है और छत्तीसगढ़ को समूह 'ख' में रखा गया है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार नक्सलवाद से अत्यधिक रुप से प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य को समूह 'क' में रखे जाने पर विचार करेगी; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन करते समय नए जिलों के सृजन के परिणामस्वरुप थानों और पुलिसकर्मियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण अपेक्षित अधिक संसाधन सुलभ कराने पर भी विचार करेगी?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी)**ः (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ) के अंतर्गत राज्यों को 'योजनेतर' और 'योजनागत', दोनों के तहत वित्त-पोषण के उद्देश्य से दो श्रेणियों अर्थात श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में विभाजित किया गया है। श्रेणी 'क' के राज्य अर्थात जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य, 90:10 केंद्रः राज्य अंशदान के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। शेष राज्य, श्रेणी 'ख' में आते हैं और ये 60:40 केंद्रः राज्य अंशदान के

आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी दस राज्य 60:40 केंद्रः राज्य अंशदान के आधार पर वित्त-पोषण के लिए श्रेणी 'ख' के राज्यों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में, उक्त वर्गीकरण में परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजट में उपलब्ध कराई गई निधियों का आबंटन सभी राज्यों के बीच वितरण अनुपात के अनुसार समानुपातिक आधार पर किया जा रहा है। उपर्युक्त मानदंड वर्ष 2015-16 में भी लागू है।

**Police Modernisation Scheme**

†*181. DR. BHUSHAN LAL JANGDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the States under police modernisation scheme have been divided into two groups and Chhattisgarh has been kept in Group 'B';

(b) whether the Central Government would consider keeping Chhattisgarh in Group 'A' in view of it being severely affected by naxalism; and

(c) whether the Central Government would also consider providing more resources required after constitution of new districts following the formation of new States which resulted in increase of the number of police stations and police forces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

***Statement***

(a) and (b) Under the Modernisation of Police Force (MPF) Scheme, the States are grouped into two categories, namely, Category 'A' and Category 'B' for the purpose of funding both under 'Non-Plan' and Plan. Category 'A' States, namely, J&K and 8 North Eastern States including Sikkim, are eligible to receive financial assistance on 90:10 Centre: State sharing basis. The remaining States are in Category 'B' and are eligible for financial assistance on 60:40 Centre: State sharing basis. Thus all the ten LWE affected states including Chhattisgarh are covered under Category 'B' States for funding in the ratio of 60:40 Centre: State sharing basis. At present, there is no proposal with the Government to change the said categorization.

(c) Allocation of funds provided in the budget for MPF Scheme is being done among all the States on a *pro rata* basis in terms of the specified distribution ratio. The aforesaid criteria continues to apply in 2015-16 also.

† Original notice of the question was received in Hindi.

**डा. भूषण लाल जांगडे** : सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण बस्तर संभाग में विकास अवरुद्ध हो गया है। किसी भी समय नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ हो जाती है, गोला-बारूद चलने लगता है, हजारों की संख्या में जवान और आम जनता हताहत हो जाती है। बारूद की सुरंगें बिछाकर जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। सड़क को काटकर उस पर पेड़ों को..

**श्री सभापति** : आप प्रश्न पूछिए।

**डा. भूषण लाल जांगडे** : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है कि इन हालातों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को "ख" श्रेणी में रखना उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को "क" श्रेणी में क्यों न रखा जाए, यह मेरी मांग है।

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी** : सभापति महोदय, माननीय सांसद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को "ए" केटेगरी में डाला जाए। मैं बताना चाहता हूं कि "ए" श्रेणी में 90 परसेंट शेयर केंद्र का और 10 परसेंट शेयर स्टेट का होता है। इसके बारे में गृह मंत्रालय और केबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसाइड किया है कि "ए" केटेगरी में सिर्फ जम्मू-कश्मीर और 8 नार्थ-ईस्ट के राज्य आते हैं, बाकी के स्टेट्स "बी" केटेगरी में आते हैं। माननीय सदस्य ने मांग की है कि उनके राज्य को "ए" केटेगरी में रखा जाए। यह बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं एक बात माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पिछले दो साल में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में मार्च तक 115 करोड़ रुपया दिया है और 2013-14 में 32 करोड़ रुपया दिया था। इसके अलावा स्पेशल रिइम्बर्समेंट स्कीम है, एस.आर. स्कीम में 381 करोड़ रुपया दिया है और उसका पैसा भी दे दिया गया है। तीन एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस भी दी हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री के. सी. त्यागी** : वे यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी** : उन्होंने पूछा है कि क्या छत्तीसगढ़ को "ए" केटेगरी में लिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह "ए" केटेगरी में नहीं आ सकता है।

**डा. भूषण लाल जांगडे** : नक्सलवाद से अत्यधिक रूप से प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस की आधुनिकीकरण संबंधी योजना के समूह "क" में क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी?

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी** : सभापति महोदय, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन हमने दूसरी स्कीम्स बनाई हैं, जो वामपंथी उग्रवाद है, उसके लिए कई स्कीम्स बनाई हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन वे जानना नहीं चाहते हैं।

**श्री सभापतिः** ठीक है।

MS. DOLA SEN: Sir, the Police Modernisation Scheme has been taken out from the list of Centrally-funded Schemes but West Bengal will suffer a lot because in respect of Jangelmahal area, West Bengal was also a LWE affected State for a long time. Moreover, Darjeeling is very much sensitive and there are three countries in the

border region of West Bengal. So my question is: Why is the Central Government asking certain State Governments to fund schemes which are essentially national in nature and to do with our national security of our country? That is why West Bengal should be included in Category 'A', at least.

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी** : सभापति महोदय, Modernisation of Police Force से पूरी Scheme नहीं निकाली है। उसमें दो Schemes थीं, एक प्लान और दूसरी नॉन- प्लान थी। प्लान स्कीम में पुलिस स्टेशन बनाना, पुलिस हाउसिंग बनाना आता है। केंद्र सरकार ने Fourteenth Finance Commission में राज्यों को 42 परसेंट दिया है, उस पैसे में से वह प्लान के कार्य कर सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि नॉन-प्लान स्कीम चालू है और इसमें 595 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट पास होने के लिए आते हैं, तो हम उनको पास करते हैं।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, in the backdrop of the sensation in Jharkhand about the *pseudo* naxals and the complications spreading across due to the Contingency Fund's misutilisation, I would like to draw the attention to, and seek an answer from, the hon. Union Home Minister that during the last ten years, the UPA regime has tried to update the technology and utilise the advanced technology in the crime and criminal case tracking system which was almost completed at the time of demitting of office. Is the Union Government trying to take up additional advancement in the modernisation of the police force all across the nation, keeping the global advancements in view?

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी** : सभापति महोदय, हमारी सरकार उग्रवाद खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मैं आपको इस साल की बात बताता हूं कि हमने 2,200 मोबाइल टावर बनाने के लिए भी बोला है और 6 MI helicopters भी दिए हैं। जितनी बटालियन्स चाहिए होती हैं, हम उतनी बटालियन्स भी देते हैं। हमने LWE area में 7,300 करोड़ का, पांच हजार किलोमीटर का जो रास्ता बनाना था, वह भी बनाया और हमने नई technology के लिए भी एक टीम बनाई है। हम नई technology यूज़ करके उग्रवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाएंगे।

**श्री नरेश अग्रवाल** : माननीय गृह मंत्री जी, आपने राज्यों को Category 'A' और Category 'B' में दिखाया है। Category 'A' में जो राज्य हैं, उनको 90:10 की सहायता करते हैं और Category 'B' में 60:40 की सहायता करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि Category 'B' के जो States हैं, इनमें वह भी State है, जिसमें आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन States में Police Modernization के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए पूछ लूं, लेकिन चूंकि यह सवाल छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता था। उन स्टेट्स में जो modernization के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, वे प्रस्ताव क्या-क्या हैं और आप उनको कब तक स्वीकार करेंगे तथा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे?

**श्री राजनाथ सिंह** : सभापति महोदय, सभी सम्माननीय सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के संबंध में मुझे यह कहना है कि सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि

Fourteenth Finance Commission की Report आने के बाद जो police modernization की स्कीम थी, जिसके तहत स्टेट्स की फंडिंग की जाती थी, अब वह फंडिंग बंद कर दी गई है। अब भी स्टेट्स को नॉन-प्लान के तहत फंडिंग होती है और सभी सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है कि पहले जो रेवेन्यू का शेयर होता था, जो सेन्टर के द्वारा स्टेट्स को मिलता था, वह 32 परसेंट था, उसके बढ़ाकर अब 42 परसेंट कर दिया गया है। अब हम स्टेट गर्वनमेंट से ही expect करते हैं कि वह अपना पुलिस मॉडर्नाइजेशन, अपने ही रिसोर्सेज़ के माध्यम से करेंगी, इसलिए अब उसमें Category 'A' और Category 'B' का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता।

**श्री नरेश अग्रवाल** : आपने जवाब नहीं दिया है। यह तो जवाब में ही दिया हुआ है। ...(**व्यवधान**)... यह तो आपने जवाब दिया है, ...(**व्यवधान**)... हमने नहीं दिया है। आप जवाब पढ़ लीजिए। मैंने जो पूछा है, जवाब पढ़ लीजिए। ...(**व्यवधान**)... या तो ये जवाब में देते कि इसको हमने खत्म कर दिया है। ...(**व्यवधान**)... आप answer पढ़ लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. ...(*Interruptions*)... I think आप clarify कर दीजिए।

**श्री राजनाथ सिंह** : सभापति महोदय, मैं पुनः इसे क्लैरिफाई करता हूँ कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैटेगराइजेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। उसमें 'कैटेगरी ए' और 'कैटेगरी बी' हैं। जिस 'कैटेगरी बी' के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसमें सेंटर और स्टेट का शेयर 60:40 का होता है, तो क्यों होता है, जबकि नॉर्थ-ईस्ट की 8 स्टेट्स और जम्मू-कश्मीर में सेंटर और स्टेट का शेयर 90:10 का होता है। इस प्रकार का डिस्क्रिमनेशन क्यों है? इस सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया था। मैं इसमें यही क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनमें भले ही सेंटर और स्टेट का 60:40 का रेशियो हो, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिन्हें हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाते हैं। मैं उन स्कीम्स के नाम की चर्चा करना चाहूँगा, जैसे हमारी एसआईएस स्कीम है; सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की स्कीम है; एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस की स्कीम है; आरआरपी-I है; 45 पुलिस स्टेशंस बनाने का है; हेलीकॉप्टर का है और साथ-ही-साथ काउंटर-इंसरजेंसी, एंटी-टेररिस्ट सेंटर्स बनाने की स्कीम है; हम राज्यों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ की जो कुछ भी मैक्सिमम मदद कर सकते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं; मोबाइल टावर्स बनाने की स्कीम भी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम ये सारी योजनाएँ चलाते हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं हैं, उन राज्यों में हम ये सारी योजनाएँ नहीं चलाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 182. ...(*Interruptions*)... Question No. 182. ...(*Interruptions*)... Dr. Chandan Mitra. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, Sir, ...

MR. CHAIRMAN: No, I am sorry. ...(*Interruptions*)... This is not a discussion, Prafulji. ...(*Interruptions*)... Prafulji, this is not a discussion. ...(*Interruptions*)... You give notice for a discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, what is the significance of a Naxalite district? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Prafulji, please. ...(*Interruptions*)...

Prafulji, please. ....(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: Very briefly, please. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no, please. ...(*Interruptions*)... Prafulji, please. ...(*Interruptions*)... Prafulji, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: Very briefly, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. You are a senior Member. Please don't do this. ...(*Interruptions*)... I am sorry. ...(*Interruptions*)..

SHRI PRAFUL PATEL: I myself come from a Naxalite-affected district. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. I am not contradicting anything of what you are saying. I am requesting you to just observe the procedure of the Question Hour. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, some time, while asking the question, you should allow the people who are directly affected. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, please. ...(*Interruptions*)... I am afraid that claim can be made by many people. ...(*Interruptions*)... No, no; please. ...(*Interruptions*)... We can have a discussion separately. ....(*Interruptions*)... प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Dr. Chandan Mitra, ask your question. ...(*Interruptions*)...

DR. CHANDAN MITRA: Yes, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let the answer be given. ...(*Interruptions*)... No, no, please. ...(*Interruptions*)... Sharadji, please. ...(*Interruptions*)...

**श्री शरद यादव** : सर, मैं यह कहना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति** : शरद जी, यह क्वेश्चन ऑवर है, आप रहने दीजिए, आपसे यह गुज़ारिश है। Thank you. ...(*Interruptions*)... देखिए, अगर ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : सर, मैं छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हूँ। आप मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

†**محترمہ محسنہ قدوائی :** سر، میں چھتّیس گڑھ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ مجھے ایک منٹ کا وقت دے دیجئے ---**(مداخلت)**---

**श्री सभापति** : नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ऑवर में समय नहीं दे सकता हूँ, उसके बाद। ...**(व्यवधान)**... Please, I am sorry. ...(*Interruptions*)... Please. I am sorry.

†Transliteration in Urdu Script.

...(*Interruptions*)... I am sorry. I don't see why hon. Members who are fully familiar with the procedure of the Question Hour ...(*Interruptions*)... No, you cannot do it. ...(*Interruptions*)... One minute, please. Let us be very clear. Who ask the primary question? The right to ask supplementaries belongs to the person who asks the primary question. Other supplementaries are a matter of courtesy. ...(*Interruptions*)... The rule of this House, ...(*Interruptions*).. Just a minute, please. Let me put the record straight. The rule of this House -- and it was not made by me -- was two supplementaries. I have expanded it to three supplementaries. I have to be fair to others who ...(*Interruptions*)... No, you cannot do that. ...(*Interruptions*)... शरद जी, ऐसा है, देखिए, the question and two supplementaries is the established practice. Then, additional supplementaries have been allowed. My predecessor had restricted it to two additional supplementaries. I have expanded it to three. Now, if I expand this further, then somebody else's chance goes down, and I don't see why the next person should be deprived of his right. That's all. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... देखिए, it is not by subject. ...(*Interruptions*)... It is not by subject. It is a fair system. The Starred Questions are balloted, publicly balloted; hon. Members witness it. After that, if the chance does not come, what is the Chair to do? The Chair has nothing to do with the balloting. I have the list of questions given. ...(*Interruptions*)...

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : चेयरमैन सर, मेरी बात तो सुन लीजिए...(**व्यवधान**)...

†**محترمہ محسنہ قدوائی :** چیئرمین سر، میری بات تو سن لیجئے ---(**مداخلت**)---

**श्री सभापति** : देखिए, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ...(**व्यवधान**)... अगर 10 लोग यही बात कहेंगे तो ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती मोहसिना किदवई** : शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरा नोटिस भी था, वह भी नहीं माना गया। ...(**व्यवधान**)...

†**محترمہ محسنہ قدوائی :** شارٹ ڈیوریشن کے لئے میرا نوٹس بھی تھا وہ بھی نہیں مانا گیا۔

**श्री सभापति** : देखिए, आप टाइम निकालिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ...(**व्यवधान**)... If the House is extended by the Government, I have no problem in listing all these things. Yes, Dr. Mitra.

**Laying of gas pipeline from Bathinda to Srinagar**

*182. DR. CHANDAN MITRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government had decided to lay gas pipeline from Bathinda to Srinagar, *via* Jammu;

†Transliteration in Urdu Script.